अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक : एफ 165(13)/पराविं/एफ.एफ.सी/ए.जी./2018–19/ जयपुर, दिनांकः–

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति–समस्त।

विषयः– 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान से सम्बन्धित वांछित सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ.ए.ए.सैल/समीक्षा/2017–18/डी–433 दिनांक 29.06.2018 एवं निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पत्रांक एफ 3(म)7/एल.ए./एच.ओ./टी.जी. एस/2017–18/10845 दिनांक 28.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है संलग्न पत्र के बिन्दु संख्या 3 के क्रम में आपके क्षेत्र अधीन आने वाली ग्राम पंचायत के द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में सूचना शीघ्र अतिशीघ्र इस विभाग को भिजवाये ताकि सूचना का संकलन कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार को भिजवायी जा सकें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Sd
(कुसुम धारवाल)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ 165(13)/पराविं/एफ.एफ.सी/सूचना/2018–19/7565-74 जयपुर, दिनांकः– 13.11.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. लेखापरीक्षा अधिकारी, एफ.ए.ए.सैल/दल संख्या 5, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर 302005 को संदर्भित पत्र के क्रम में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने बाबत।
4. सरपंच/ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत समस्त जरिये विभागीय वेबसाईट।
5. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

संख्या/No. एफ.ए.ए.सैल/ग्रा.वि./2017-18/D-423

D. No. 4266 PS/RD&PR/2018
Date 05 JUL 2018

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान
जनपथ, जयपुर - 302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT) RAJASTHAN
Janpath, Jaipur- 302 005

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय,
जनपथ, जयपुर

दिनांक/Date 29/6/2018

विषयः— चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान से संबधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोग से संबधित निम्नलिखित वांछित सूचनाएें लेखापरीक्षा को अतिशीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करें:—

1. क्या चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार निष्पादन अनुदान प्राप्त करने वाली सभी ग्राम पंचायतो द्वारा दावे वाले वर्ष (2017–18) से पूर्व के दो वर्षो (2015–16 एवं 2016–17) के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत कर दिये है, यदि हॉ, तो उनकी संख्या एवं विवरण से अवगत करावें ?
2. क्या राज्य में स्थित कुल ग्राम पंचायतो में से कितनी ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान का संवितरण किया गया, से अवगत करावें। साथ ही यदि सभी ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी नहीं किया गया हो तो जिनको अनुदान जारी नहीं किया गया, उनकी शेष निष्पादन राशि को, पात्र ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान राशि समानुपात रूप में वितरित की गई या नहीं इस संबंध में भी इस कार्यालय को अवगत कराये ?
3. जिन ग्राम पंचायतो द्वारा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए तो उनके कारणों से अवगत करावें ?

इसके अतिरिक्त इस कार्यलय के पूर्व पत्रांक डी. 178 दिनांक 12.06.2018 द्वारा भी चौदहवें वित्त आयोग से संबधित वांछित सूचनाएें चाही गई जो अभी तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं कृपया लेखापरीक्षा द्वारा चाही गयी सभी वांछित सूचनाएें शीघ्र उपलब्ध कराने का श्रम करें ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देने का श्रम करें ।

F.A PR

FA (RB)

भवदीय,

लेखापरीक्षा अधिकारी
एफ.ए.ए.सैल/दल सं. 05

5/7/18

टेलीफोन : 2385430-39, 2385131, 2385232
Telephone : 2385430-39, 2385131, 2385232
फैक्स : 0141-2385181
Fax : 0141-2385181
ई-मेल : agaurajasthan1@cag.gov.in
E-mail : agaurajasthan1@cag.gov.in

Scanned with CamScanner